

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें असिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०

से

जिला-खगड़िया

सा०


सन्

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को निरस्त करने के संबंध में। कांड संख्या:-146/2018 राज्य बनाम रेल थाना मानसी कांड संख्या:-13/2018

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर व कार्रवाई के दिग्दर्शी तारीख-स 3.
25.07.2018	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत रेल थाना मानसी में दर्ज कांड संख्या:-13/2018 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक 235/हि०शा०उ०, दिनांक 10.07.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, रेल थानाध्यक्ष, मानसी का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम०एल० का 12 बोतल एवं 375 एम०एल० का 16 बोतल विदेशी शराब कुल-15 लीटर विदेशी शराब रेल थाना, मानसी के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल थाना, मानसी थाने के मालखाना में रखी गई कुल-15 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए रेल थाना, मानसी में दर्ज कांड संख्या:-13/2018 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल-15 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/थानाध्यक्ष, रेल थाना, मानसी/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>	



समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 03.
	<p>डी० बी० नं०.....<u>469</u>...../विधि, दिनांक <u>28.7.2018</u> प्रतिलिपि:-रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/थानाध्यक्ष, रेल थाना, मानसी/ उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: right;">  प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 28/7/18 </p>	